राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

क्रं. राउन्यापी/लाइब्रेरी/बाइन्डिंग/152 दिनांक: 31-8-18

निविदा सूचना

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के पुस्तकालय अनुभाग की "विधि पुस्तकों एवं पत्रिकाओं आदि की उच्च श्रेणी के बंधन (स्वर्ण अक्षर अंकित गिल्ट लेबल सहित) हेतु" दरें निर्धारण बाबत मोहरबन्द निविदायें एक वर्ष के लिए आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र मय शर्तो के विभाग के केशियर से दिनांक 31.08.2018 से 07.09.2018 तक रूपये 400/– मात्र देकर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट एवं SPPP PORTAL से भी डाउनलोड किये जा सकते है। ऐसे डाउनलोड निविदा प्रपत्र की राशि 400/–रु का डिमाण्ड ड्राफ्ट "रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर" के पक्ष में पृथक से देना होगा। निविदायें दिनांक 07.09.2018 दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगी तथा प्राप्त निविदायें उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष निविदादाताओं की उपस्थिति में दोपहर 12.30 बजे खोली जायेगी। निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 5000/– एफ.डी.आर. के साथ रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के नाम से जमा करावें।

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर

रूपये :— 400/—

अंतिम तिथिः ..07/9/18

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

निविदा पत्र

1.	विषय :—	विधि पुस्तकों एवं पत्रिकाओं आदि की उच्च श्रेणी के बंधन (स्वर्ण अक्षर अंकित गिल्ट लेबल सहित) हेतु निविदा
2.	निविदा देने वाली फर्म का नाम व पूरा पता	....
3.	पते पर भेजा गया :—	रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर (राजस्थान)
4.	संदर्भ निविदा सूचना संख्या	................./पुस्तकालय दिनांक :....................
5.	निविदा का शुल्क	................/— रुपये नकद रसीद संख्या ... .दिनांक के द्वारा जमा करा दिये गये है।

6. हमारी और से बंधन कार्य की दरें :—

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

7. हम, रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या..................... पुस्तकालय, दिनांक............................में वर्णित सभी शर्तो को भी मानने के लिए बाध्य है। तथा संलग्न कागज में दी गई उक्त निविदा सूचना की अग्रिम शर्तो को भी मानने के लिए बाध्य है।

8. पुस्तकें आदि बंधन करके 15 दिन की अवधि में लौटा दी जावेगी।

9. उपरोक्त अंकित दरें ....वर्ष तक के लिए मान्य है।

10. पारस्परिक समझौते के जरिये नियमानुसार अनुबंध की समयावधि बढाई जा सकती है।

11. निविदा के साथ निविदा मूल्य हेतु रु 400/—का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट एवं अमानत राशि 5000/— की एफ.डी.आर. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के पक्ष में जमा कराने हेतु संलग्न है।

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निविदा एवं संविदा की शर्ते तथा जिल्दसाजी की विशिष्टताएं :—

सूचना :— निविदाकार को अपनी दरें भरते समय इन शर्तो एवं विशिष्टताओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए।

1. निविदायें मुहरबंद लिफाफे में भेजी जानी है।
2. निविदा प्रपत्र के साथ जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण—पत्र, पैन नम्बर संलग्न होना चाहिये।
3. निविदा प्रपत्र स्याही वाले पैन द्वारा भरा जावे या टंकित होना चाहिए, तथा दरें शब्दों तथा अंको दोनों में बिना किसी काट—छांट के स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये।
4. निविदा केवल उन्हीं जिल्दसाजों/फर्मो द्वारा दी जानी चाहिये जो या तो स्वयं बाइन्डिंग का काम करते हो या उनके द्वारा बाइन्डिंग का काम कराया जाता है।
5. निविदाकार को बंधन की शर्ते एवं विशिष्टताएं आदि सावधानी पूर्वक पढी एवं समझी हुई मानी जायेगी। यदि उसी शर्तो या विशिष्टताओं के किसी भाग के अर्थ के बारे में कोई संदेह होगा तो प्रभारी अधिकारी को संदर्शित करेगा तथा उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
6. बंधन की गई पुस्तकें उनकी विशिष्टताओं से पुर्णतः मिलती हुई सर्वोत्तम किस्म की बाइन्डिंग होगी। बंधन की किस्म के बारे में स्वीकृती प्रदान करने वाले अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा वह निविदाकार के लिए मान्य होगा।
7. पुस्तकालय से पुस्तकें बंधन हेतु ले जाने की जिम्मेवारी निविदाकार की होगी एवं निविदाकार पुस्तकों की बाइन्डिंग करके ठीक तरह से बांध/पैक कर अच्छी दशा में नियत स्थान पर पहुचायेगा। बंधी हुई पुस्तकों को पहुंचाते समय किसी प्रकार की हानि, नुकसान या टूट आदि के लिए निविदाकार ही जिम्मेदार होगा। बाइन्डिंग निर्देशानुसार नही होने अथवा खराब बाइन्डिंग की दशा मे भुगतान देय नही होगा साथ ही बाइन्डिंग कार्य के दौरान रिकार्ड को नुकसान पहुँचाने पर बाइन्डिंग कार्य की राशि का 10% दंड स्वरूप वसूल किया जावेगा।
8. दरें गन्तव्य स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर से एफ. ओ. आर.(निःशुल्क) उद्धत की जानी चाहियें तथा सभी कर एवं लागते समाहित होनी चाहिये। स्थानीय जिल्दसाजों के मामले में भी सभी करों को शामिल किया जाना चाहिये तथा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा कोई भी गाड़ी या भाड़ा व्यय वहन नही किया जायेगा । एवं बंधी हुई पुस्तकों की प्राप्ति इस न्यायालय के पुस्तकालय में की जायेगी।

9. स्वीकृत दरें दर अनुमोदन होने की तिथि से आगामी एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

10. निविदाकार को जिसकी कि निविदा स्वीकृत की जाती है उसे अपने निविदा प्रपत्र में भरे गये समय के अनुसार पुस्तकें बंधन करके लौटाना होगा।

11. निविदा के साथ बाइन्डिंग में प्रयोग किये जाने वाले नमूने प्रस्तुत करने होंगे।

12. निविदाकार को 'विधि' पुस्तकों के बंधन कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

13. यदि सेवा प्रदाता द्वारा कार्य संतोषप्रद नही होता है तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद किसी भी समय निविदा निरस्त की जा सकेगी।

14. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

15. कार्यादेश जारी किये जाने के बाद सेवा की आपूर्ति निर्धारित समयावधि में की जानी होगी।

16. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापस लेता है, या रूपान्तरण करता है या विदित समय में करार निष्पादित नही करता है या निविदा स्वीकार करने के बाद सिक्यूरिटी राशि जमा नही कराता है तो बकाया राशि जब्त कर ली जावेगी।

17. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी।

18. बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन) को होगा।

19. क्रय समिति नियमानुसार न्यूनतम निविदादाता को नेगोसियेशन के लिए आमंत्रित कर सकती है इसके बावजूद भी दरें अनुकूल नही पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

20. निविदाकार को निविदा के साथ रुपये 5000/– धरोहर राशि रूप मे जमा कराने होंगे इसके बिना निविदा अमान्य होगी। यह राशि रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के पक्ष में एफ.डी.आर. द्वारा जमा करानी होगी। जिन निविदाकार की निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हें निविदा की राशि अंतिम स्वीकृति होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर लौटा दी जायेगी। जबकि स्वीकृत निविदाकार को परफोरमेंस सिक्यूरिटी राशि (कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि) बाबत 10,000/– की एफ.डी.आर. एग्रीमेंट के साथ जमा कराने होंगे। यह राशि तब तक जमा रहेगी जब तक कि अनुबंध प्रचलित रहेगा। कार्य असंतोषप्रद पाये जाने अथवा अनुबंध निर्धारित अविध से पूर्व समाप्त करने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

21. धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

22. (1) बंधन की हुई पुस्तकें अच्छी दशा में राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के पुस्तकालय में संभलाई जायेगी।

(2) बंधन की हुई पुस्तकें पुस्तकालय में चैक एवं दर्ज करने के पश्चात उन पुस्तकों का बिल भुगतान हेतु पारित किया जायेगा।

23. कार्य में विलम्ब करने पर अथवा कार्य नही करने पर अन्य फर्मो से कार्य करवाने पर विभागीय क्षति पूर्ति लिए संवेदक उत्तरदायी रहेगा।

24. नियमानुसार निविदा स्वीकृत होने की सूचना के पश्चात 500/– के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

25. उपरोक्त के अतिरिक्त आर.टी.पी.पी. एक्ट के समस्त प्रावधान स्वतः ही लागू होंगे।

जिल्दसाजी के विशिष्टताऐं :–

1. पुस्तकें, राजपत्र एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की अर्द्धचर्म जिल्दसाजी, जिनके कोने चमड़े के बनाये जाये।
2. चमड़ा जो प्रयुक्त हो भेड़ या बकरे का चमड़ा, जो कि पूर्णतया शोधित हो, काम में लिया जावें।
3. फलक, (दफ्तरी) पुस्तक के आकार के अनुरूप वजन की दोतरफा फलक का प्रयोग किया जावें।
4. सिलाई केवल जुज और लपेट सिलाई ही की जाये।
5. पुस्तक बंधन में मलमल अथवा अन्य उच्च श्रेणी के वस्त्र का प्रयोग होना चाहिए अथवा अस्तर नहीं लगाई जावे।
6. पुस्तक के पृष्ठ भाग (पुश्त) पर उच्च श्रेणी का अस्तर (गिल्ट लेवल) चिपकाया जाना चाहिये और काली जिल्दसाजी की अवस्था में स्वर्ण अक्षर पुस्तक के पृष्ठ भाग पर अंकित किये जाने चाहिये।
7. पुस्तकें की फलक पर उच्च श्रेणी के काले वस्त्र का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
8. सिलाई के पश्चात, पुस्तकों को अच्छी तरह से पीट कर गोलाई निकाली जाये।
9. राजपत्रों के बंधन में कागज की कतरनें उपयोग में लानी होगी जिससे कि पृष्ठ भाग (पुश्त) संतुलित एवं ठीक प्रकार से रहे।

रजिस्ट्रार (प्रशासन)
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर